न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोंक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 98/2017

निर्णय दिनांक– 22.12.2017

1:–रामअवतार पुत्र सोराम जाति जाट निवासी नयागांव तहसील उनियारा जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1:–तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री हरिराज सिंह, वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार प्रतिपक्षी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 53 ख0न0 190 रकबा 0.25, ख0न0 311 रकबा 0.45, ख0न0 329 रकबा 2.68 ख0न0 392/216 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 3.53 है0 वाके ग्राम नयागांव तहसील उनियारा मे है, जिसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थी व 1/2 हिस्सा उसकी माता के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे अंकित है। जिस पर प्रार्थी का अपने पिता के जीवनकाल से निरतंर बिना किसी बाधा कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के गैरखातेदारी का अकित प्रार्थी के पिता के नाम जमाबन्दी 2017–20 मे अंकित है, प्रार्थी के पिता की मृत्युपरान्त उसका नामान्तकरण भी प्रार्थी व उसकी माता के नाम भरा जा चुका है। प्रार्थी का सही नाम रामअवतार पुत्र सोराम अंकित है, जो कि प्रार्थी के राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र , आधार कार्ड, आदि मे अंकित है, जबकि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का सहवन से रामअवतार के स्थान पर रामावतार व पिता का नाम सोराम के स्थान पर श्योनारायण दर्ज कर दिया गया, अतः राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायाहित मे उचित एवं आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व तहसीलदार उनियारा कि और से सरकारी पेरोकार उपस्थित। सरकारी पेरोकार ने अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे रामावतार पुत्र श्योनारायण के स्थान पर रामअवतार पुत्र सोराम व माता का नाम मूली पत्नी सोराम कर दिया जावे, जिसमे राज्य हित प्रभावित नही होता है। उक्त दुरूस्ती मे प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए जाहिर किया कि राजस्व जमाबन्दी खाता संख्या 53 कुल किता 4 रकबा 3.53 है0 ग्राम नयागांव तह0 उनियारा में प्रार्थी का नाम रामावतार पुत्र श्योनारायण के स्थान पर रामअवतार पुत्र सोराम एवं प्रार्थी की माता का नाम भूली पत्नी श्योनारायण के स्थान पर मूली पत्नी सोराम कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का आदेश फरमावे। जो ग्राम पंचायत रानीपुरा द्वारा जारी परिचय पत्र, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र , आधार कार्ड, आदि मे सही नाम कि प्रतियां प्रस्तुत है।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण मे दिये गये जवाब व बहस का मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अतः तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 53 कुल किता 4 रकबा 3.53 है0 ग्राम नयागांव तह0 उनियारा में प्रार्थी का नाम रामावतार पुत्र श्योनारायण के स्थान पर रामअवतार पुत्र सोराम एवं प्रार्थी की माता का नाम भूली पत्नी श्योनारायण के स्थान पर मूली पत्नी सोराम कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करवाया जावे। तत् पश्चायत् राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

पत्रवावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । पत्रावली दफतर दाखिल किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner